न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 37/2022

जी.सी.एम.एस. : 2022/168

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भंवरी देवी पुत्री रणसिंह पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेवाली खुर्द तहसील पाली जिला पाली		1. वरजू पत्नी स्व. रणसिंह जाति राजपूत निवासी गायेलो का बास, एन्दलावास, तहसील पाली जिला पाली 2. तहसीलदार, मारवाड जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार प्रजापत।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25.7.2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम भिमालिया के नामान्तरकरण संख्या 492 दिनांक 29.05.1999 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम भिमालिया में अपीलाण्ट के पिता की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि आयी हुई है जिसके खसरा नम्बर 581, 582, 583 जिसका कुल रकबा 14.7710 हैक्टेयर है जिसमें अपीलाण्ट के पिता का 1/6 हिस्सा तथा अपीलाण्ट का 1/30 वा हिस्सा आता है। अपीलाण्ट के पिता का देहान्त हो जाने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने कैम्प बांता में जरिये फैतेदगी नामान्तरकरण सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलाण्ट के पिता की चार जायन्दा पुत्रीया है उसके उपरान्त भी नायब तहसीलदार ने बिना किसी को सुने जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। ग्राम भीमालिया तहसील मारवाड जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2042–2045 के अनुसार खसरा नम्बर 581, 582 व 583 की भूमि करणसिंह, रणसिंह, छोगसिंह, भोपालसिंह, लालसिंह, थानसिंह पुत्र लादूसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है। जैर आराजी मे खातेदार रणसिंह फौत हो जाने पर स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 492 दिनांक 29.05.1999 के द्वारा करणसिंह, छोगसिंह, भोपालसिंह, लालसिंह, थानसिंह पुत्र लादूसिंह को बतौर खातेदार दर्ज किया गया अर्थात् रणसिंह का कोई भी वारिसान नहीं मानते हुये जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया।

ग्राम भीमालिया की जमाबन्दी सम्वत् 2054–2057 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 492 का नोट लगाने के बाद उसमें काट–छांट कर वरजू पत्नी रणसिंह का नाम जोडा गया, जो कि मूल नामान्तरकरण संख्या 492 से मेल भी नहीं खाता है तथा ग्राम भीमालिया की पश्चातवर्ती जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 से स्पष्ट है कि वरजू पत्नी रणसिंह को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। यदि जैर नामान्तकरण में वरजू पत्नी रणसिंह का नाम अंकित ही नहीं था तो उसके उपरान्त उक्त जमाबन्दी में वरजू पत्नी रणसिंह का नाम कैसे दर्ज किया गया ?

अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम भीमालिया के खसरा नम्बर 581, 582 व 583 में खातेदार रणसिंह फौत हो जाने पर रणसिंह का कोई भी वारिसान नहीं मानते हुये नामान्तरकण संख्या 492 दिनांक 29.05.1999 स्वीकृत किया गया तथा ग्राम भीमालिया की जमाबन्दी सम्वत् 2054–2057 में उक्त नामान्तरकरण का नोट लगाकर उसमें काटछांट कर अविधिक तरीके से वरजू पत्नी रणसिंह का नाम बाद में जोडा गया। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रणसिंह के वारिसानों की जांच कर वर्तमान जमाबन्दी में अंकित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सभी खातेदारों को विधिवत नोटिस जारी कर, उभयपक्ष पक्षकारों को सुनकर दस्तावेजों की जांच कर विधिनुसार नामान्तरकरण दर्ज करे। विधिवत जांच के दौरान अग्रिम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने तक अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित खसरा नम्बर की भूमि का रहन अथवा बेचाण नहीं किया जावे और न ही जैर आराजी का रेकर्ड में कोई परिवर्तन किया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली